Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 48 Date 19/06/2022

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक– 19.06.2022 को अपराह्न में बासा भवन, पटना में बिहार एडमिनिशट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन की प्रथम केन्द्रीय कार्यकारिणी की बैठक आहुत की गई उक्त बैठक में EOPS Case Number – 24/17.06.2022 के आधार पर श्री आलोक कुमार 41वीं बैच उप सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को IPC की धारा 153ए एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66 के तहत गिरफ्तार किये जाने के बिन्दु पर उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा विशेष रूप से विमर्श का अनुरोध किया गया ।

बैठक के क्रम में श्री आलोक कुमार के दोनों भाइयों एवं उनके पुत्र द्वारा घटनाक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई । उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक– 16.06.2022 को अर्ध रात्रि करीब दो बजे दो सिपाही उनके घर आये एवं उनके पिताजी को खोज रहे थे । भयवश परिवार के लोगों द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया । पुनः दिनांक– 17.06.2022 को उनके पिताजी निर्वाचन कार्यालय गये तो सचिवालय थाना के थाना प्रभारी द्वारा उनके पास जाकर उनके निजी मोबाईल की माँग की गई । बिना कोई सर्च वारंट के इस कृत्य पर उनके द्वारा आपत्ति की गई । सचिवालय थाना प्रभारी श्री सी.पी.एम. गुप्ता द्वारा उनके मोबाईल को जब्त कर लिया गया । उसी दिन संध्या छह से सात के बीच थानाध्यक्ष द्वारा मोबाईल वापस करने हेतु उन्हें थाना बुलाया गया परंतु दो से तीन घंटे उन्हें बैठाने के बाद मोबाईल वापस न कर उन्हें आर्थिक अपराध ईकाई थाना ले जाया गया । उनके बाद वहाँ पुछताछ कर उन्हें शारीरिक जाँच हेतु लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल, शास्त्रीनगर ले जाया गया । हृदय रोग से ग्रसित तथा पेशमेकर लगे होने के कारण शारीरिक रूप से फीट नहीं होने के कारण पिछले 60 घंटे से अधिक समय से उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया जो कि संविधान के सुसंगत धाराओं का उल्लंघन है ।

गया कि श्री आलोक कुमार ने "टीम बासा", जो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों का समूह है, जिसमें एक कार्टून पोस्ट किया गया था जिसमें किसी धर्म के आराध्य का कोई उल्लेख नहीं था । इस पोस्ट से इसी ग्रुप के किसी सदस्य की भावना आहत हुई यह प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्राथमिकी में सूचक वरीय स्तर के पदाधिकारी हैं । श्री आलोक कुमार द्वारा किया गया पोस्ट उनके द्वारा तत्काल हटा भी लिया गया था । प्रश्न यह उठता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के ग्रुप का तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट से अगर किसी को कोई शिकायत थी तो उस व्यक्ति को स्वयं थाना में जाकर श्री आलोक कुमार के खिलाफ शिकायत की जानी चाहिये थी । प्राथमिकी किये जाने में वरीय पदाधिकारी की सूचना दर्शाया गया है । राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी जिनका नाम आ रहा है, द्वारा विशेष अभिरूचि लेकर नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत शिकायतकर्त्ता का बयान दर्ज कराये बिना एवं अनुसंधान तथा पदाधिकारी से बिना किसी स्पष्टीकरण के श्री आलोक कुमार जो कि अपराधी एवं आतंकवादी नहीं हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना काफी दुखद है । बासा के सभी सदस्य एवं उनके परिवार के लोग विद्वेष की भावना से ग्रसित होकर किये गये इस कृत्य से सभी आहत हैं एवं इसकी पुरजोर निंदा करते हैं । संघ के सभी सदस्य यह निम्न माँग करते हैं:–

1. नियम के विरूद्ध बिना अनुसंधान के दायर किये गये प्राथमिकी को वापस लिया जाय तथा गिरफ्तार श्री आलोक कुमार को अविलंब रिहा किया जाय ।
2. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने न्यायादेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सी.आर.पी.सी. की धारा– 41 A के तहत जिन मामलों में सात वर्ष से कम सजा का प्रावधान है उन मामलों में बिना नोटिस दिये कोई कार्रवाई नहीं करनी है जबकि श्री आलोक कुमार के साथ ऐसा नहीं किया गया ।
3. जब **व्हाट्स ऐप** ग्रुप बासा सदस्यों का आंतरिक ग्रुप है एवं श्री आलोक कुमार के पोस्ट से किसी सदस्य की भावना आहत हुई तो शिकायतकर्त्ता प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी कैसे हो गये ? उनकी अभिरूचि इस पोस्ट पर क्यों इतनी जगी । संघ प्रशासनिक पदानुक्रम के वरीयतम पदाधिकारी के इस कार्य को सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध तथा क्षेत्राधिकार से बाहर मानता है तथा संघ इस कृत्य की निंदा करता है । साथ ही, संघ उक्त वरीयतम पदाधिकारी के नाम के खुलासा की भी माँग करती है ।
4. संघ के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस कृत्य के विरूद्ध विरोध दर्ज करने के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारीगण कल दिनांक– 20.06.2022 को **"काला बिल्ला"** लगाकर सरकारी कार्य का निष्पादन करेंगे ।
5. कल दिनांक– 20.06.2022 की संध्या 06:30 बजे देश–विदेश के सभी प्रिंट मिडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया को बासा कार्यालय में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेस किया जायेगा ।

19/6/22
(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

19/6
(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के निर्णय के आलोक में आज दिनांक– 20.06.2022 को बासा के सभी जिला ईकाइयों एवं सभी सदस्यों ने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए पूरे बिहार में काला बिल्ला लगाकर सरकारी कार्यों का निष्पादन किया । सभी सदस्यों को धन्यवाद ।

विदित हो कि दिनांक– 17.06.2022 को श्री आलोक कुमार, उप सचिव, निर्वाचन विभाग की गिरफ्तारी की गई । गिरफ्तारी के विरोध में बासा के सभी सदस्यों में काफी आक्रोश है और इस घटना से सभी मर्माहत हैं ।

आज दिनांक– 20.06.2022 को पूर्वाह्न में मुख्य सचिव, बिहार की ओर से वार्ता हेतु बासा के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया । जिसमें अध्यक्ष श्री शशांक शेखर सिन्हा एवं महासचिव श्री सुनील कुमार तिवारी के साथ ही पूर्व महासचिव श्री अनील कुमार सहित श्री हेमंत कुमार सिंह, मो0 शाहिद परवेज, श्री अनील कुमार, श्री शिशिर कुमार मिश्र के साथ ही अन्य सदस्य उपस्थित हुये । वार्ता क्रम में मुख्य सचिव महोदय ने स्वीकार किया की किसी के द्वारा तथाकथित पोस्ट उन्हें भेजा गया था जिस पर उनके द्वारा सक्षम प्राधिकार को उक्त पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया । उनकी मंशा कतई किसी पर कार्रवाई की नहीं थी परंतु पुलिस द्वारा बिना पूरी घटना की जाँच किये कठोरतम कदम उठा दिया गया ।

उपस्थित सदस्यों ने अपनी भावना से मुख्य सचिव, बिहार को अवगत कराया तथा श्री आलोक कुमार पर दर्ज प्राथमिकी को अविलंब वापस लेने, श्री कुमार पर सामान्य प्रशासन विभाग से कोई कार्रवाई नहीं करने तथा ऐसी घटना की पुर्नावृति नहीं हो इसको लेकर कठोर शब्दों में अपना विरोध दर्ज किया । मुख्य सचिव द्वारा सभी घटना चक्र को बताते हुए संघ के सदस्यों को बताया गया कि जल्दबाजी में उनके स्तर से बिना जाँच के कार्रवाई हेतु प्रेषित कर दिया गया और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई इसके लिए उन्होंने दुख व्यक्त किया तथा कहा कि भविष्य में ये घटना मेरे लिए सीख है । उनके द्वारा मामले से संबंधित पदाधिकारी को हर संभव मदद करने तथा उनके विरूद्ध सामान्य प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं किये जाने तथा दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया ।

संघ के सदस्यों द्वारा मुख्य सचिव, बिहार से हुई वार्ता के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि संघ तीन–चार दिनों तक मामले की निगरानी करेगा तथा सरकार के स्तर से क्या कार्रवाई की जाती है इसकी प्रतिक्षा करेगा तत्पश्चात संघ द्वारा आगे की रणनीति तय की जायेगी ।